प्रेषक,

चकबंदी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

सेवा में,

समस्त-

1. उप संचालक चकबंदी, उत्तर प्रदेश।
2. बन्दोबस्त अधिकारी चकबंदी/ सहायक बन्दोबस्त अधिकारी चकबंदी, उत्तर प्रदेश।
3. चकबंदी अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

संख्या-3110/जी-415/2009-10 दिनांक-12 जुलाई, 2011

विषय- रिट याचिका संख्या-53438/2003 राजेन्द्र सिंह बनाम उ.प्र. राज्य में पारित निर्णय दिनांक 10.12.2003 के अनुपालन में चकबंदी प्राधिकारियों के समक्ष उ.प्र. जोत चकबंदी अधिनियम की धारा-9क के अन्तर्गत लम्बित वादों के त्वरित निस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या ॅ-163/1-8-11-42/32/2/2004-30, दिनांक 28.06.2011 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए यह कहना है कि शासन के उक्त पत्र द्वारा उपरिसंदर्भित रिट याचिका में पारित आदेश दिनांक 10.12.2003 के अनुपालन की अपेक्षा की गयी है। उल्लेखनीय है कि आदेश दिनांक 10.12.2003 में मा. न्यायालय द्वारा यह संवीक्षा की गई है कि चकबंदी प्रक्रिया के अन्तर्गत वादों का त्वरित निस्तारण, संविधान के अनुच्छेद-21 के अनुसार उभय पक्षों का मौलिक अधिकार है, अतएव मा. न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम की धारा-9क के अन्तर्गत दायर वाद व उनसे उद्भुत अपील / निगरानी का एक तर्कसंगत समयावधि, जो छः माह से अधिक न हो, में निस्तारण हेतु निर्देश दिये गये हैं।

अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में आपको निर्देशित किया जाता है कि मा. उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 10.12.2003 के समादर में शासन के पत्र दिनांक 28.06.2011 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(पार्थ सारथीसेन शर्मा)
चकबंदी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।